राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकः 5496 – 5563 दिनांकः 21.1.2019

निविदा सूचना

बोर्ड के पूर्व में अम्बित अन्तिम लेखों एवं लेखा संबंधी अन्य कार्यो हेतु एक अनुभवी व्यक्ति की संविदा पर सेवाओं की आवश्यकता है। इस हेतु अधिकृत इच्छुक फर्मो/संवेदकों से दिनांक 04.02.2019 को समय दोपहर 01:00 बजे तक वित्तीय प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते है। प्रस्ताव उक्त तिथि एवं समय को कमरा नं. 13 में प्रस्तुत किये जावेगे। प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रूपये 3600/– का डी.डी. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय सलाहकार

संविदा सेवाओं संबंधी नियम एवं शर्तेः–

1. फर्मो/संवेदकों का इस हेतु संबंधित विभागों में पंजीकृत होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण पत्र वित्तीय प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में प्रस्तुत प्रस्ताव मान्य नहीं होगें। वित्तीय प्रस्तावों में जी.एस.टी. की देयता एवं दर का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
2. फर्मो/संवेदको का जी.एस.टी. पंजीकरण के अतिरिक्त श्रम विभाग, पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण होना आवश्यक है, जिसका साक्ष्य प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में प्रस्तुत प्रस्ताव मान्य नहीं होगें।
3. व्यक्ति जिसकी सेवाऐं बोर्ड में संविदा पर उपलब्ध करायी जावेगी, फर्म द्वारा उसे मासिक भुगतान श्रम विभाग के द्वारा प्रसारित न्यूनतम मजदूरी से कम देय नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि अपने स्तर पर संबंधित कार्यालयों में फर्म/संवेदक द्वारा जमा करायी जावेगी। श्रम विभाग के निर्देशों की पूर्ण पालना फर्मो/संवेदकों द्वारा की जावेगी। सेवानिवृत व्यक्ति की सेवाऐं उपलब्ध करवाये जाने की स्थिति में पी.एफ. एवं ई.एस.आई. कटौति की राशि के संबंध में श्रम विभाग के निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक नहीं है।
4. संविदा पर उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति को किसी संस्था का कम से कम 5 वर्षो के अन्तिम लेखे तैयार करने एवं लेखा कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। साथ ही व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष तक किसी सरकार संस्था/विभाग के अन्तिम लेखे तैयार करने का कार्य अनुभव होना आवश्यक है।

5. संविदा पर कार्यरत व्यक्ति के यात्रा एवं ठहराव के लिए वास्तविक रेल/बस किराये के अतिरिक्त 300/– रूपये प्रति दिन की दर से राशि फर्म/संवेदक को भुगतान किया जावेगा।

6. सार्वजनिक/राजकीय अवकाशों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा। संविदा व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमति से अवकाश उपभोग किया जायेग तो राशि समानुपातिक रूप से मासिक भुगतान से काट ली जावेगी। बिना पूर्वानुमति के अवकाश उपभोग को सेवा दोष माना जायेगा।
7. व्यक्ति की सेवाए संतोषजनक पाये जाने के समीक्षाधीन होगी। अनुबन्धित व्यक्ति अनुपयुक्त पाये जाने पर उसकी सेवाए लेने से इन्कार करने का अधिकार विपणन बोर्ड को होगा।
8. रखे गये व्यक्ति का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार विपणन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
9. सेवायें पूर्णतया अनुबन्ध पर आधारित होगी, जिसकी अवधि प्रथमतयः एक वर्ष के लिए होगी, जिसे आपसी सहमति से समान शर्तो एवं मासिक पारिश्रमिक के आगामी एक वर्ष तक बढाया जा सकेगा।
10. सेवाप्रदाता फर्म/संवेदक विपणन बोर्ड द्वारा दिये गये कार्य/उपस्थिति प्रमाण–पत्र के आधार पर मासिक बिल प्रस्तुत करेगा। बिल पर नियमानुसार आयकर एवं जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौति की जावेगी।
11. अनुबन्ध पर रखें गये व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य के लिए हानि या नुकसान या हर्जाना सेवाप्रदाता फर्म/संवेदक से वसूल करने का अधिकार होगा।
12. सेवाप्रदाता फर्म/संवेदक द्वारा स्वयं की ओर से अनुबन्ध समाप्त करने की दशा में एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना या उसके बदलें में एक माह की अनुबन्ध राशि का भुगतान बोर्ड को जमा कराना होगा।
13. समस्तप्रकार के श्रम कानुनों एवं उत्तरदायित्व की पालना की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता फर्म/संवेदक की होगी।
14. सेवाप्रदाता फर्म/संवेदक रखें गये व्यक्ति का पी.एफ., ई.एस.आई. एवं जी.एस.टी. की राशि समय पर अपने स्तर से सम्बन्धित विभागों में जमा कराई जायेगी।
15. अनुबन्ध नियमानुसार नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा, जिसका भुगतान सेवाप्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
16. इस अनुबन्ध का न्याय क्षेत्र जयपुर के क्षेत्र अधिकार में सीमित होगा।
17. अन्य निर्देश एवं शर्ते जो बोर्ड द्वारा समय–समय पर प्रसारित किये जायेगे उन्हें सेवाप्रदाता फर्म/संवेदक मानने के लिए बाध्य होगा।

(प्रीति शर्मा)
वित्तीय सलाहकार